मानननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प उज्जैन

निग - 1910 - I - 14 रिविजन /2014

श्रीमति शांताबाई पति गिरवरसिंह
आयु 60 साल निवासी ग्राम कलमा
तहसील टोकखुर्द जिला देवास म.प्र. ....**प्राथीया**

विरुद्व

श्रीमति छोटीबाई पत्नि कन्हैयासिंह
आयु 45 साल निवासी ग्राम कलमा
तहसील टोकखुर्द जिला देवास म.प्र. ....**प्रतिप्राथी**

रिविजन धारा 50 म. प्र. भु. रा. सं. विधान के अर्न्तगत

माननीय महोदय,

प्राथीया की और से प्रतिप्राथी के विरुद्व यह रिविजन अर्ज निम्नानुसार पेश है।

प्रकरण का संक्षिप्त मे विवरण

प्राथीया ग्राम कलमा तहसील टोकखुर्द जिला देवास की स्थाई निवासी होकर प्राथीया के नाम से ग्राम कलमा मे भुमि सर्वे नंबर 585/1 रकबा 0.20 हेक्टयर, सर्वे नंबर 585/2 रकबा 0.20 हेक्टयर, सर्वे नंबर 585/3 रकबा 0.20 हेक्टयर कुल रकबा 0.60 हेक्टयर कृषि भुमि स्थित होकर कृषि भुमि हकत है एवं दो ,फसली है प्राथीया के पडोस मे प्रतिप्राथी छोटीबाई की भुमि सर्वे नंबर 585/4, 585/5 कुल रकबा 0.45 हेक्टयर कृषि भुमि स्थित है प्रतिप्राथीया ने उसकी भुमि का सीमांकन दिनांक 29.5.2014 को प्रभारी अधिकारी श्री.वी.पी.सिंह डिप्टी कलेक्टर देवास के आदेश अनुसार भु अभिलेख अधिक्षक बी.एस.गामड के माध्यम से करवाया गया जिस पर दिनांक 29.5.2014 को मोके पर इलेक्ट्रानिक मशीन के माध्यम से करवाया गया है सीमांकन कार्यवाही मे प्राथीया की भुमि मे 0.15 कडी भुमि प्राथीया की और बताई गई तथा साहयक भु अधिक्षक भु अभिभेख ने दिनांक 6.6.2014 को अधिक्षक भु अभिलेख को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है इस सीमांकन प्रकरण कमांक 0.2/सं.अ.भ.अ./सीमांकन/2014 के प्रतिवेदन सीमांकन पंचनामा दिनांक 29.5.2014 से असन्तुष्ट व दुखी होकर यह रिवीजन अर्ज निम्न बिन्दुओ के अधार पर प्रस्तुत कि जा रही है।

रिवीजन के आधार

1. यह कि अधिक्षक भु. अभिलेख देवास के द्वारा सीमांकन कार्यवाही के पुर्व प्राथीया ,को नियमोनुसार एक सप्ताह पुर्व सुचना नही दी गई सीमांकन दिनांक को मात्र चौकीदार के माध्यम से मोखिक सुचना दी गई एवं प्राथीया को सुचना की तामिल नही कराई गई इसलिये सीमांकन पंचनामा दिनांक 29.5.2014 एवं अधिक्षक भु अभिलेख का प्रतिवेदन दिनांक 6.6.2014 विधि विरुद्व होकर निरस्त किया जावे।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1910-एक/14 **जिला** - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश उपाध्याय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	